



2026: AHC: 46915

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 55 वर्ष 2026

रमेश चंद्र एवं 5 अन्ययाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता: राय साहब यादव

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राय साहब यादव और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्व परिषद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.7.2025 के विरुद्ध याचिकाकर्ता की ओर से दायर बहाली आवेदन लंबित है, अतः वर्तमान रिट याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया जाए।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका को कानून के अनुसार लंबित बहाली आवेदन पर बल देने की स्वतंत्रता के साथ, वापस लेते हुए खारिज किया जाता है।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मार्च 9, 2026

पी.एस.*

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"